

मद संख्या: 2/130

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 129 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26-6-2012 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या ।

मद सं०	विषय	निर्णय	अनुपालन आख्या
1/129	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 25-4-2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	बोर्ड द्वारा दिनांक 25-4-2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्व सम्मति से की गई ।	कार्यवाही वांछित नहीं है ।
2/129	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 25-4-2012 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या ।	बोर्ड द्वारा दिनांक 25-4-2012 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई ।	कार्यवाही वांछित नहीं है ।
3/129	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय सम्पत्तियों की सैक्टर दर के पुर्ननिर्धारण के संबंध में ।	प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ । गैर सरकारी सदस्य, श्री राकेश यादव द्वारा आवासीय सम्पत्तियों के सैक्टर दर को एक ही बार दो-तीन गुना बढ़ाकर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के बराबर किये जाने पर आपत्ति दर्ज की गई । श्री यादव की आपत्ति का संज्ञान बोर्ड द्वारा लिया गया । किन्तु प्रश्नगत दरें पूर्व में ही दिनांक 24-5-2012 से प्रभावी होने के कारण बोर्ड द्वारा श्री राकेश यादव, गैर सरकारी सदस्य के मन्तव्य को अंकित करने के निर्देश देते हुए प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	बोर्ड निर्णय अनुसार अनुपालन किया जा रहा है ।
4/129	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अर्जन संबंधी कार्यों का सुचारु रूप से निस्तारण हेतु प्राधिकरण में नायब तहसीलदार का पद स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रतिनियुक्ति पर नायब तहसीलदार तैनात करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	बोर्ड निर्णय के क्रम में प्राधिकरण में नायब तहसीलदार की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की जा चुकी है ।
5/129	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के गोविन्दपुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत रोड संख्या 4 में पड़ रही कब्रिस्तान की भूमि से संबंधित गतिरोध के निस्तारण के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	बोर्ड के निर्णय के क्रम में पक्षकारों से हुए समझौते के अनुसार स्थल पर कार्य कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।
6/129	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में लैण्ड बैंक विकसित करने हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	बोर्ड के निर्णय के क्रम में 8 ग्रामों की लगभग 2800 एकड़ भूमि के अधिग्रहण प्रस्ताव तैयार कर जिलाधिकारी को भेजे जा रहे हैं ।
7/129	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत राजस्व ग्राम महीउददीनपुर कनावनी में ईशान इंटरनेशनल एजुकेशनल सोसायटी की भूमि के संबंध में बोर्ड बैठक दिनांक 20-02-03 में पारित निर्णय पर पुर्नविचार के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	बोर्ड के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

8/129	प्राधिकरण की अनावासीय/ग्रुप हाऊसिंग सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के संबंध में ।	प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि 500 वर्ग मीटर से कम अनावासीय सम्पत्तियों एवं पेट्रोल पम्प के भूखण्ड का निस्तारण टू बिड सिस्टम पर न करते हुए विद्यमान शासनादेशानुसार नीलामी पद्धति से किया जाये तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक अनावासीय सम्पत्तियों के लिए उपाध्यक्ष द्वारा समिति का गठन करके विस्तृत प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।	बोर्ड निर्णय के अनुपालन में 500 वर्गमीटर के कम क्षेत्रफल की अनावासीय सम्पत्तियों का निस्तारण टू बिड पर न करते हुए शासनादेश के अनुसार खुली नीलामी पद्धति से दिनांक 23-7-2012 से प्रारम्भ कर दिया गया है एवं 500 वर्गमीटर से अधिक अनावासीय सम्पत्तियों के लिये दिनांक 12-7-2012 को समिति का गठन किया गया था । समिति द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी आख्या दिनांक 13-7-2012 को प्रस्तुत की गयी है । समिति की संस्तुति के क्रम में परिचालन के माध्यम से प्रस्ताव दिनांक 24-7-12 को कराया जा चुका है एवं तत्क्रम में 500 वर्गमीटर से अधिक की सम्पत्तियों की नीलामी प्राधिकरण द्वारा की जा रही है । परिचालन के माध्यम से अनुमोदित प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष मद सं० 07 पर अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है ।
9/129	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में किये जा रहे अनुरक्षण हेतु अनुरक्षण शुल्क एवं वाटर एवं सीवरेज कनेक्शन चार्ज की दरों के पुर्ननिर्धारण के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	पुनरीक्षित दरें लागू कर दी गयी हैं ।
10/129	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित भूखण्डों/भवनों के आवंटियों द्वारा समय से कब्जा न लिये जाने की फलस्वरूप लिये जाने वाले चौकीदार शुल्क के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	पुनरीक्षित दरें लागू कर दी गयी हैं ।
11/129	एन0एच-24 ग्रेटर नोएडा सम्पर्क मार्ग के निर्माण में बाधित भू-भाग से आबादी की पुर्नस्थापना ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	पुर्नस्थापित किये जाने वाले व्यक्तियों को आवंटन कर सूची ग्रेटर नोएडा को प्रेषित कर दी गयी है। चूंकि भूमि का स्वामित्व उन्हीं का है । अतः उनके द्वारा आवंटन पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र भेजा गया था । ग्रेटर नोएडा ने अपने पत्र सं० पी0आर0जे0/वर्क सर्किल-5/2012/10138, दिनांक 28 अगस्त 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक के निर्णय के क्रम में 4 एकड़ भूमि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरित होनी है । अतः 4 एकड़ भूमि डीड आफ एसाइनमेन्ट/डीड आफ एग्रीमेन्ट के माध्यम से हस्तान्तरित करते हुए लाभार्थियों को आवंटन पत्र भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत किया जाना ही अभीष्ट है। तत्क्रम में आवंटन पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जा रही है।
12/129	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार गठित समिति द्वारा संशोधन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक

	में संशोधन के संबंध में ।	स्वीकार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि संशोधन प्रस्तावों का विस्तृत अध्ययन निम्न समिति द्वारा कर लिया जाये :- 1- सचिव, गा0वि0प्रा0 2- मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक, गा0वि0प्रा 3- सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, मेरठ 4- नगर नियोजक, श्री गौड़, गा0वि0प्रा समिति द्वारा भवन उपविधि 2008 एवं शमन उप विधि 2009 में संशोधनों का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर उपाध्यक्ष के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाये । यह भी निर्णय लिया गया कि शमन के संबंध में शिथिलीकरण के प्रस्ताव दिनांक 26-6-2012 तक निर्मित निर्माणों पर ही प्रभावी होंगे ।	24-7-2012 को प्रस्तुत कर दिया गया था । प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण के पत्र सं0 50/नियोजन अनुभाग/12 दिनांक 4-8-12 द्वारा उ0प्र0 शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है । शासन की स्वीकृति प्रतीक्षित है ।
13/129	मानचित्र स्वीकृति के समय बाह्य विकास शुल्क को किशतों में लिये जाने की सुविधा समाप्त किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
14/129	शासन की अधिसूचना संख्या 5899/8-3-09-214 विविध /09 दिनांक 14-9-10 जो प्रदेश के विकास प्राधिकरणों हेतु ई0डब्लू0 एस0 तथा एल0आई0जी0 तथा अन्य आय वर्गों को एफोर्डेबिल हाऊसिंग उपलब्ध कराने संबंधी जारी की गई थी, में प्रस्तावित संशोधन ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं शासन को स्वीकृति हेतु सन्दर्भित किये जाने का भी निर्णय लिया गया ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार प्रस्तावित संशोधन पत्र सं0 24/नियोजन अनुभाग/12, दिनांक 21-7-12 द्वारा शासन की स्वीकृति हेतु सन्दर्भित किया जा चुका है ।
15/129	गाजियाबाद महायोजना -2021 के अन्तर्गत मेरठ रोड के उत्तर-पश्चिम में स्थित जोन-1 की परिक्षेत्रीय योजना के संबंध में ।	प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।	प्रस्ताव मद सं0 19 पर प्रस्तुत है ।
16/129	गाजियाबाद में क्रियान्वित की जा रही हाईटैक / इंटीग्रेटेड टारुनशिनप योजनाओं की प्रगति के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया ।	कार्यवाही वांछित नहीं है। अध्यावधिक प्रगति मद सं0-20 पर प्रस्तुत है ।
17/129	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर सहायक अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति के विषय में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर सहायक अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति हेतु पत्र सं0 944/06/विधि अनु0/12 दिनांक 6-7-12 द्वारा प्रमुख सचिव आवास एवं प्रमुख सचिव गृह से अनुरोध किया गया है ।

18/129	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विरुद्ध न्यायालय में विचाराधीन वादों का लीगल आडिट कराये के विषय में ।	वर्तमान शासनादेश के आलोक में पुनरीक्षित कर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	मै0 पारासर एण्ड पारासर ला फर्म डी-177 लाजपतनगर नई दिल्ली को नियुक्त किया जा चुका है, जो प्रशासनिक अधिकारीगण के निर्देशानुसार प्रकरणों में लीगल आडिट कर रही हैं ।
19/129	शासनादेश संख्या 1106/9-आ-1-(आ0ब0) बोर्ड बैठक/ 2001 दिनांक 01-3-2001 के बिन्दु-18 में इंगित बिन्दुओं पर सूचना ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया ।	कार्यवाही वांछित नहीं है। विस्तृत प्रस्ताव पुनः बोर्ड के समक्ष मद सं0-21 पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।
20/129	गाजियाबाद नगर निगम की भूमि पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के विषय में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं गाजियाबाद नगर निगम द्वारा दिनांक 26-6-12 को एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर कर शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा चुका है ।
21/129	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में विद्यालयों / शैक्षिक संस्थाओं को खेल कूद मैदान के लिए अनुज्ञप्ति पर आवंटित भूमि की दरें निर्धारित किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	बोर्ड निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में विद्यालय/शैक्षिक संस्थाओं को खेलकूद के मैदान के लिये अनुज्ञप्ति पर भूमि रू0 10/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष अनुज्ञप्ति शुल्क लेकर आवंटित की जा रही है ।
22/129	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद के अनुरोध पर गाजियाबाद नगर में सुरक्षा, यातायात व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था हेतु एक इनोवा व चार बुलेरो/ सुमो कार (टैक्सी) उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	गाजियाबाद नगर में सुरक्षा, यातायात व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था हेतु एक इनोवा व चार बुलेरो/ सुमो कार (टैक्सी) उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राईस बिड दिनांक 25-8-12 को खोली जा चुकी है । जिसपर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।
23/129	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को यातायात व्यवस्था एवं नगर में सड़क जाम की स्थिति से बचने हेतु ट्रेक्टर हाइड्रोलिक लिफ्टर क्रय करने हेतु पुलिस विभाग को धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	हाइड्रोलिक लिफ्टर क्रय करने हेतु पुलिस विभाग को रू0 11,95,000/- (ग्यारह लाख पन्चानवे हजार मात्र) धनराशि का चैक प्रेषित किया जा चुका है ।
24/129	गाजियाबाद महायोजना 2021 में ग्रीन बैल्ट भू-उपयोग के अन्तर्गत ग्राम प्रहलाद गढी के खसरा संख्या 675 (आंशिक) की भूमि पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/ फिलिंग स्टेशन की अनुमति विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं के अन्तर्गत अनुमन्य किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।